

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
बिहार पटना।
आदेश

सं सं०-4/ए-7-35/2015-860(4) पटना, दिनांक- 31-08-2015

कुमारी सुनीता, महिला कक्ष सेविका, रेफरल अस्पताल, छतरगाछ (किशनगंज) से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरांत उन्हें वर्तमान पदस्थापन स्थान से स्थानांतरित करते हुए सिविल सर्जन, पटना के निपटारे पर पदस्थापित किया जाता है।

2. यह स्थानांतरण कुमारी सुनीता से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक किया गया है अतएव उन्हें यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
3. इस स्थानांतरण से नियुक्ति की वैधता मान्य नहीं होगी।
4. उक्त आदेश में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग की सहमति प्राप्त है।

ह०/-

निदेशक प्रमुख,

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।

ज्ञापांक-4/ए-7-35/2015-860(4) पटना, दिनांक- 31-08-2015

प्रतिलिपि- कुमारी सुनीता, महिला कक्ष सेविका, रेफरल अस्पताल, छतरगाछ (किशनगंज) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- क्षेत्रीय उप निदेशक, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ/पटना/सिविल सर्जन, किशनगंज/पटना/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, छतरगाछ (किशनगंज)/कोषागार पदाधिकारी पटना/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव /अधोहस्ताक्षरी के निजी सहायक/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना। निदेशित है कि इस आदेश को अविलम्ब विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

31/8/15
निदेशक प्रमुख,

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।